

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.02.2024

आज दिनांक 10.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 08 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत लोहरे गाँव से इवेन्ट संख्या 06017 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में ट्राली पलट जाने के कारण दुर्घटना में 08 लोगों (1- लालमति पत्नी जनार्दन 2- रामरति पत्नी मुन्नीलाल 3- मीना पत्नी शंकर 4- साहवता 5- निशा पुत्र अच्छेलाल 6- उर्मिला पत्नी त्रिलोकी 7- अभिषेक पुत्र रामनारायण 8- पानमति पत्नी रामनारायण निवासीगण कड़सर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 अजय सरोज, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनों से 75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनों से 75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.02.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 10.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। *थाना महुली* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.02.2024

आज दिनांक 10.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा० के० एस० प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर०के० भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए छेड़खानी करने व मोबाइल पर गन्दे मैसेज भेजने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री केशवनाथ* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस* द्वारा मु०अ०सं० 24/2024 धारा 354/452/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता आदर्श चौधरी पुत्र स्व० प्रहलाद चौधरी निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 24.01.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा उनके मोबाइल पर गन्दे – गन्दे मैसेज भेजकर रास्ते में आते जाते छेड़खानी की जाती है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना मेहदावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10.02.2024 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक थाना महुली श्री सतीश कुमार सिंह, हे०का० अजय कुमार, का० दुर्गेश यादव।